

## चेक लिस्ट क्र. 19

अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं  
कर्मचारियों का विवरण

**कार्यालय परियोजना प्रबंधक**  
**(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)**  
**छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)**  
**(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946**

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बाकारूमा-लैलूंगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित है। जिसकी कुल लम्बाई 22.920 कि.मी., जिसमे 3.843 हेक्टे. संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त आवेदित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किये जाने का कोई प्रकरण किसी भी अधिकारी के विरुद्ध नहीं है।

  
 वनपरिक्षेत्राधिकारी  
 लैलूंगा परिक्षेत्र

  
 वनपरिक्षेत्राधिकारी  
 बाकारूमा परिक्षेत्र

  
 (ए. क. दीवान)  
 परियोजना प्रबंधक  
 (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)  
 छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना  
 लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

  
 उप वनमण्डलाधिकारी  
 लैलूंगा उप वनमण्डल

  
 वनमण्डलाधिकारी  
 धरमजयगढ़ वनमण्डल